



2026:AHC:57934

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 1162/2026

सुशील एवं अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: बृज राज सिंह

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 19.03.2026 के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 को नोटिस तामील होने के संबंध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2. विद्वान ए.जी.ए. का तर्क है कि उनके निर्देशों के अनुसार, विपक्षी संख्या 2 को नोटिस तामील हो चुका है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
4. बी.एन.एस.एस. का वर्तमान आवेदन विशेष न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम, मैनपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2025 को रद्द करने के लिए दायर किया गया है, जिसके द्वारा आवेदकों के विरुद्ध थाना- भोगांव, जिला- मैनपुरी में भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 323, 354 और पोक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत दिनांक 04.05.2024 के समन आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के तहत दाखिल डिस्चार्ज (विमुक्ति) आवेदन संख्या 7A को खारिज कर दिया गया था।

5. आवेदकों के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें वर्तमान मामले में दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से झूठा फंसाया गया है। वर्तमान बी.एन.एस.एस. आवेदन दिनांक 30.05.2025 के आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। आवेदक और शिकायतकर्ता रिश्तेदार हैं। निचली अदालत ने साक्ष्यों पर विचार किए बिना 30.05.2025 के आदेश के माध्यम से आवेदकों के डिस्चार्ज आवेदन को खारिज कर दिया। इसके विपरीत, आवेदकों के पिता ने शिकायतकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। यह वर्तमान शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई है। तात्कालिक कार्यवाही एक दुर्भावनापूर्ण अभियोजन है।
6. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का विरोध किया और तर्क दिया कि निचली अदालत के समक्ष पीड़िता का बयान प्रथम दृष्टया आवेदकों के विरुद्ध अपराध प्रकट करता है। निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार और परीक्षण करने के बाद ही डिस्चार्ज आवेदन को खारिज किया है।
7. आवेदकों के अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि आवेदक शिकायतकर्ता के घर में घुसे और पीड़िता/शिकायतकर्ता के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की। पीड़िता ने निचली अदालत के समक्ष दर्ज अपने बयान में छेड़छाड़ के संबंध में आवेदकों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया आवेदकों के विरुद्ध अपराध बनता है। साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन कर रहे हैं। निचली अदालत ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आवेदकों का संज्ञान लिया और उन्हें तलब किया, जो कि उचित और सही है। इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।



8. आवेदन में लिए गए आधारों से पता चलता है कि उनमें से कई तथ्य के विवादित प्रश्नों से संबंधित हैं। इस न्यायालय का यह मत है कि यह सुस्थापित है कि साक्ष्यों का मूल्यांकन निचली अदालत का कार्य है। बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार को ग्रहण नहीं कर सकता और कानून के तहत प्रदान की गई सुनवाई की प्रक्रिया को समाप्त नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में यह भी तय किया गया है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत शक्ति का प्रयोग मुकदमे के पूर्व चरण में सामान्य तरीके से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग केवल ऐसे उचित मामलों में किया जाना चाहिए जहाँ स्पष्ट रूप से यह प्रतीत हो कि आपराधिक कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के विरुद्ध कोई कानूनी बाधा है, या जहाँ प्राथमिकी या आरोप पत्र में लगाए गए आरोप और उनके समर्थन में दी गई सामग्री को उनके अंकित मूल्य पर लेने और उनकी संपूर्णता में स्वीकार करने पर आरोपी के विरुद्ध किसी भी अपराध का होना प्रकट नहीं होता है। तथ्यों के विवादित प्रश्नों और आरोपी के बचाव पर इस मुकदमे के पूर्व चरण में विचार नहीं किया जा सकता है।
9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 866, मानिक बी. बनाम कडापाला श्रेयस रेड्डी एवं अन्य, 2023 लाइव लॉ (SC) 642, हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 SCC (Cr.) 426, बिहार राज्य बनाम पी.पी. शर्मा, 1992 SCC (Cr.) 192 और अंततः ज़ांदु फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद सराफुल हक एवं अन्य (पैरा-10) 2005 SCC (Cr.) 283 के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है जो बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत इस न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की मांग करता हो, क्योंकि इसमें कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है।



10. आवेदकों का वर्तमान 528 बी.एन.एस.एस. आवेदन उपरोक्त टिप्पणियों के साथ **खारिज** किया जाता है।

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026